संख्या– 1645 /II–2005–03(08)/2005

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तरांचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग, देहरादून, दिनांक, 28 मई 2005

विषयः– त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग उत्तरांचल के पत्र सं0–1973/ मु0अ0वि0 /बजट अनु0 /सामान्य दिनांक 16.05.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोजनागत मद में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के लिए वर्ष 2004–05 में अवमुक्त केन्द्रांश के विपरीत स्वीकृति हेतु अवशेष रू0 44.751 लाख एवं वर्ष 2005–06 में केन्द्रांश प्राप्ति की प्रत्याशा में राज्यांश के रूप में 221.50 लाख अर्थात कुल रू0 266.251 लाख (रूपय दो करोड़ छासठ लाख पच्चीस हजार एक मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– योजनाओं का क्रियान्वयन जनसहभागिता सिंचाई प्रबन्धन Particpatory Irrigation mode (PIM) के आधार पर किया जायेगा।

2– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के विरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्ही योजनाओं के अन्तर्गत किया जाये जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है, तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

3– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

4– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय, हस्तपुस्तिका, टैण्डर/कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

5– अवमुक्त की जा रही धनराशि की जनपदवार/खण्डवार फॉट स्वीकृत योजनाओं के अनुपात में की जाय जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जाय।

क्रमशः.....2

6– जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यो के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

7– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तरांचल राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

8– कार्य की समय बद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

9– ए0आई0वी0पी0 की योजनाओं पर व्यय करते समय भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

10– उक्त धनराशि के पूर्ण उपभोग एवं इससे कृत कार्य की वित्तीय भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद ही आगामी किस्त केन्द्रांश अवमुक्त होने के बाद अवमुक्त की जायेगी।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 05–सिंचाई विभाग की नयीं योजनायें आयोजनागत 800–अन्य व्यय 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 95–ए0आई0बी0 पी0 की सिंचाई योजना , 24–बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–201/वि0 अनु0–3/2005 दिनांक, 26 मई, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।

संख्या– 1645 /II–2005–03(08)/2005/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–3
3– श्री एम0एल0पन्त, अपर सचिव, वित्त,बजट अनुभाग उत्तरांचल शासन।
4– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री।
6– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
7– कोषाधिकारी /जिलाधिकारी देहरादून, नैनीताल एवं हल्द्वानी, उत्तरांचल ।
8– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल हेतु।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।

(2)